

Form No III

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला चित्तौडगढ

रतनलाल II बनाम II बाबुलाल

किसम मुकदमा नम्बर.....106..... सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.06.18	<p style="text-align: center;">2018/00370</p> <p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फारूख मोहम्मद ने राजस्व लोक अदालत केम्प-कंधारिया में उपस्थित हो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा ग्राम हसमतगंज प0म0 सुखवाड़ा में स्थित होकर खाता सं0 35 में अकिंत आराजी नम्बर 201 एवं 206 कुल किता 2 कुल रकबा 7.96 है0 स्थित होकर विपक्षीगण पडोसी है । ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है । उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 500/- अक्षरे पाँच सौ रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है की पक्षकारान को अपने स्तर पर सुचना पत्र जारी किया जावे एवं मौजा ग्राम हसमतगंज प0म0 सुखवाड़ा में स्थित होकर खाता सं0 35 में अकिंत आराजी नम्बर 201 एवं 206 कुल किता 2 कुल रकबा 7.96 है0 भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि न्यायालय में एक भाग में प्रस्तुत करें । जारी आदेश का</p>	